तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
17/1/22	पत्रावली ... उपस्थित। साक्ष्य आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 21/2/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
21/2/22	वकील वादी उपस्थित। वादी की ओर से PW-1 ... सिंह एवं PW-2 प्रकाश के शपथ-पत्र पर बयान लेखबद्ध कराये गये। शा० जि० किये गये। वादी और साक्ष्य नहीं करना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस वादी अन्तिम दिनांक 3/3/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
3/3/22	पत्रावली पेश हुई वकील ... उपस्थित। बहस वकील सुनी गई। अतः दावा वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है पृथक से निर्णय लिखा जाकर शा० मि० किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील जिला ... लेख महफिज में जमा हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) [signature] [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/194/2021

बउनवान

1. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
2. रामचरण पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
3. गोकल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती

तहसील कठूमर जिला अलवर

————वादीगण

बनाम

1. नेतराम दत्तक पुत्र चेतनरामखिलाडी जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर हालवासी ग्राम रोनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री ललित मोहन शर्मा एडवोकेट– वकील वादीगण की ओर से

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट– प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनांक 03.03.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 192, 193, 228, 78, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 96/404, 100, का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 258, 276, 122, का 2/15 हिस्सा व खसरा नम्बर 33 रकवा 0.10 हे. सालिम वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में स्थित है। प्रतिवादी नेतराम दत्तक पुत्र चेतनरामखिलाडी ने उपरोक्त विवादित आराजी के अपने सम्पूर्ण हिस्सा को दिनांक 16.08.1968 को वादीगण के पिता रामस्वरूप से 5000 रूपया नकद प्राप्त कर उसे तीन साल के लिये मौके पर कब्जा संभलवा कर इस शर्त के साथ रहन रख दी कि यदि में विवादित आराजी को तीन साल में रहन की राशि वापिस अदा नहीं कर पाया तो इन्हीं पांच हजार रूपयों में विवादित आराजी विकी मानी जावेगी। जिस रहननामा/ईकरारनामा वय की लिखित उक्त दिनांक 16.08.1968 को 25–25 पैसे के किता 2 स्टाम्प पेपरों पर प्रतिवादी ने वादी के पिता रामस्वरूप हक में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

करवाई जिस ईकरारनामा वगै पर प्रतिवादी ने रसीदी टिकिट व उस पर अपना अंगूठा निशानी लगाकर अलवर नोटरी से तस्दीक करवाया है। प्रतिवादी ने ईकरारनामा दिनांक 16.08.1968 की पालना ना कर वादीगण के पिता को उनके पांच हजार रूपया नहीं लौटाये इस वजह से विवादित आराजी वादीगण की दिनांक 16.08.1968 की खरीद की हुई आराजी है। जवकि वादीगण विवादित आराजी वर प्रतिवादी की जानकारी में वक्त खरीद से यानि विगत 55 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीगण विवादित आराजीवावत प्रतिवादी के विरूद्व एडवर्स पजेशन तथा ओल्ड कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी के दत्तक पिता चेतनरामखिलाडी सेंटलमेंण्ट संवत् 2024 से 2028 के दौरान फौत हो गये इसलिए सैटलमेंण्ट कर्मचारियों व वाद में राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी को कहीं चेतनरामखिलाडीपुत्र रामसिंह कहीं नेतराम दत्तक पुत्र चेतन कहीं रामखिलाडी पुत्र ....चेतराम पुत्र रामसिह नाम से दर्ज कर दिया। जवकि चेतनरामखिलाडी नाम के दो व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति चेतनरामखिलाडी नाम का एक ही व्यक्ति प्रतिवादी के दत्तक पिता थे। सैटलमेंण्ट एंव राजस्व कर्मचारियों को मुताविक मौका कब्जा कानून विवादित आराजी प्रतिवादी व इसके दत्तक पिता चेतनरामखिलाडी के विभिन्न नामो से तथा खसरा नम्बर 122, 258, 276 के 1/15 हिस्सा को रामखिलाडी पुत्र .....के नाम दर्ज न कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था। खसरा नम्बर 96/404 खसरा नम्बर 96 का ही हिस्सा है इसलिए प्रतिवादी व इसके पिता व इसके विभिन्न नामों से दर्ज विवादित आराजी वावत खातेदारी के इन्द्राजात हक हकूक वादीगण प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड बॉयड व प्रभावहीन है। वादीगण ने प्रतिवादी से गलत राजस्व रेकार्ड को सही करवाकर विवादित आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो प्रतिवादी ने साफ इन्कार कर दिया। हाल जमाबन्दी खसरा नम्बर 258, 276, 122 प्रतिवादी व रामखिलाडी के नाम 2/15 हिस्सा की खातेदारी गलत दर्ज है इससे पूर्व की जमाबन्दी में उनका 1/3 हिस्सा दर्ज है। गलत राजस्व रेकार्ड के वजूद में रहने सेवादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। अतः वादीगण विवादित आराजी वावत पुराना कब्जा एंव एडवर्स पजे ान के आधार पर खातेदारी घोशित करवाये जाने के अधिकारी है। वादीगण विवादित आरजी पर दिनांक 16.08.1968 से लगातार काविज रहकर का त कर रहे है प्रतिवादी ने वादीगण को खुले आम धमकी दी है कि मैं तुम्हें विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आराजी पर तुम्हारे हिस्साकी आराजी पर भांति पूर्वक का त नहीं करने दूँगा जवरन वेदखल कर मैं खुद कब्जा करूँगा यदि प्रतिवादी अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जांवेगें। अतः वादीगण प्रतिवादी को डिक्री हुक्मइन्तनाइई दवामी से पाबन्द करानें के अधिकारी है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रलिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 13.09.2021 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक करायां है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ईकरारनामा दिनांक 16.08.1968 प्रदर्श 2 जमान्दी संवत् 2028 प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2028, प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2033 प्रदर्श 6 जमाबन्दी सवत् 2033 प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत् 2033 प्रदर्श 8 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श 9 ला0 22 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 पेंश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह PW1बच्चूसिंहPW2 प्रकाश के वयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये राजीनामा व गवाहान के वयान का अवलोकन किया। वहस वकुलायसुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादी ने विवादित आराजी वावत राजीनामा पेश कर तथ्यों को स्वीकार कर व विवादित आराजी पर वादीगण के पिता व वादीगण का सन् 1968 से लगातार कब्जा स्वीकार कर दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित है। अतः दावा वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी ने राजीनामा पेश कर यह स्वीकार किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 192,193, 228, 78, 94,95, 96, 97,98,99, 96/404, 100 का 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 258, 276, 122 के 2/15 हिस्सा व खसरा नम्बर 33 सावित वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर मिन प्रतिवादी नेतराम दत्तक पुत्र चेतनरामखिलाडी ने वादीगण के पिता रामस्वरूप को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दिनांक 16.08.1968 को जरिये ईकरारनामा वेचान कर दी तभी से ता–जिन्दगी वादीगण केपिता रामस्वरूप उक्त आराजी पर मौके पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर वादीगण उक्त आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है मिन प्रतिवादी का इस विवादित आराजी पर दिनांक 16.08.1968 से कोई किसी भी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा ना अव है। अव यह आराजी राजस्व रेकार्ड में नेतराम दत्तक पुत्र चेतन, रामखिलाडी पुत्र .....चेतराम पुत्र रामसिंह नेतराम पुत्र चेतराम तथा पुत्र के नाम से दर्ज है इस आराजी वावत समस्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे तथा इन्हें राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे इनका ही मौके पर कब्जा है। वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे मेरी सहमति है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह सही है कि विवादित आराजी प्रतिवादी नेतराम ने दिनांक 16.06.1968 को जरिये ईकरारनामा वादीगण के पिता रामस्वरूप को प्रतिफल स्वरूप राशि लेकर रहन रखी थी लेकिन रहन कर्जा न चुकाने प्रर उक्त ईकरारनामा वेचान में तब्दील हो गया। प्रतिवादी ने उक्त आराजी पर वादीगण के पिता रामस्वरूप को कब्जा देना प्रतिफल स्वरूप राशि प्राप्त करना ईकरारनामा से प्रमाणित है। वाद खरीद विवादित आराजी पर पहले वादीगण के पिता रामस्वरूप व रामस्वरूप के मरने पर वादीगण का कब्जा विवादित आराजी पर पत्रावली के तथ्यों व गवाहान के वयान व स्वंय प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर पेश किये गये राजीनामा से प्रमाणित है। जहां तक प्रतिवादी के नाम का प्र न है प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत् 2033 में प्रतिवादी का नाम नेतराम पि0मु0 चेतनरामखिलाडी दर्ज है। अतः प्रतिवादी का नाम नेतराम पि0मु0 चेतनरामखिलाडी होना ही प्रमाणित है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियों व वाद में राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी में कहीं चेतनरामखिलाडी पुत्र रामसिंह कहीं नेतराम दत्तक पुत्र चेतन कहीं नेतराम पुत्र चेतराम, रामखिलाडी पुत्र .....नाम से दर्ज कर दिया जो इन्द्राज गलत है। गवाह वादीगण भी प्रतिवादी का नाम नेतराम दत्तक पुत्र चेतनरामखिलाडी होना बताते है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादीगण का करीब 55 साल से लगातार कब्जा काश्त प्रमाणित है। जिसे स्वंय प्रतिवादी स्वीकार करता है। गवाह पी डब्ल्यू 1 व पी डब्ल्यू 2 भी विवादित आराजी पर पहले वादीगण के पिता रामस्वरूप व उनके मरने पर वादीगण का कब्जा काश्त देखते चले आना कथन करते है। हाल राजस्व रेकार्ड गलत है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड ईकरारनामा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व गवाहान के वयान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (अजमेर)

पहले वादीगण के पिता व उसके वाद वादीगण का कब्जा लगातार सावित होने से विवादित आराजी वावत वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर192 रकवा 0.33 हे., 193 रकवा 0.30 हे., 228 रकवा 0.39 हे., 78 रकवा 0.54 हे., 94 रकवा 0.44 हे., 95 रकवा 0.42 हे., 96 रकवा 0.62 हे., 97 रकवा 0.29 हे., 98 रकवा 0.32 हे., 99 रकवा 0.27 हे., 96/404 रकवा 0.25 हे., 100 रकवा 0.42 हे. के 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 258 रकवा 1.32 हे., 276 रकवा 0.92 हे., 122 रकवा 2.04 हे. के 2/15 हिस्सा व खसरा नम्बर 33 रकवा 0.10 हे. सालिम वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नेतराम दत्तक पुत्र चेतन, रामखिलाडी पुत्र ..... चेतराम पुत्र रामसिंह नेतराम पुत्र चेतराम तथा पुत्र कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 03.03.2022को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद पत्र संख्या 1/194/2021

वउनवान

1. बच्चूसिंह पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
2. रामचरण पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती
3. गोकल पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी ईसरोती

तहसील कठूमर जिला अलवर।

————डिक्रीदारान

बनाम

1. नेतराम दत्तक पुत्र चेतन रामखिलाडी जाति जाट निवासी ईसरोती तहसील कठूमर हालवासी ग्राम रोनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

दावा घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादीगण वावत आराजी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 192 रकवा 0.33 हे., 193 रकवा 0.30 हे., 228 रकवा 0.39 हे., 78 रकवा 0.54 हे., 94 रकवा 0.44 हे., 95 रकवा 0.42 हे., 96 रकवा 0.62 हे., 97 रकवा 0.29 हे., 98 रकवा 0.32 हे., 99 रकवा 0.27 हे., 96/404 रकवा 0.25 हे., 100 रकवा 0.42 हे. के 1/8 हिस्सा व खसरा नम्बर 258 रकवा 1.32 हे., 276 रकवा 0.92 हे., 122 रकवा 2.04 हे. के 2/15 हिस्सा व खसरा नम्बर 33 रकवा 0.10 हे. सालिम वाके ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज नेतराम दत्तक पुत्र चेतन, रामखिलाडी पुत्र ..... ,चेतराम पुत्र रामसिंह, नेतराम पुत्र चेतराम कलमजन कर हाल पटवार कागजात माल में वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आजदिनांक 03.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)